राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 1212/2012/झुंझुनू
2. अपील संख्या – 1213/2012/झुंझुनू

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड–प्रथम, झुंझुनू। .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स जे.पी. स्टोन क्रेशर,
मोड़ा पहाड़, झुंझुनू। ....प्रत्यर्थी.

1. क्रॉस ऑब. संख्या – 1629/2012/झुंझुनू
2. क्रॉस ऑब. संख्या – 1630/2012/झुंझुनू

मैसर्स जे.पी. स्टोन क्रेशर,
मोड़ा पहाड़, झुंझुनू। .....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड–प्रथम, झुंझुनू। ....प्रत्यर्थी.

अपील संख्या – 1215/2012/झुंझुनू

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड–प्रथम, झुंझुनू।

बनाम

मैसर्स राज स्टोन क्रेशर उद्योग,
मोड़ा पहाड़, झुंझुनू। .....अपीलार्थी

क्रॉस ऑब. संख्या – 1631/2012/झुंझुनू

मैसर्स राज स्टोन क्रेशर उद्योग,
मोड़ा पहाड़, झुंझुनू। .....अपीलार्थी

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड–प्रथम, झुंझुनू। .....प्रत्यर्थी

खण्ड़पीठ
श्री जे.आर.लोहिया –सदस्य
श्री अमर सिंह –सदस्य

उपस्थित : :

श्री एन.एस.राठौड़,
उप राजकीय अभिभाषक .....विभाग की ओर से
श्री सुरेश ओझा,
अभिभाषक .....व्यवसायी की ओर से

निर्णय दिनांक : 03/06/2014

निर्णय

1. यें अपीलें विभाग द्वारा एवं व्यवसायी द्वारा क्रास ऑब. के रूप में उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के द्वारा पारित पृथक–पृथक निर्णय के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये हैं।

लगातार.....2

2. सभी अपीलों एवं क्रॉस ऑब. में विवादित बिन्दु एक समान होने से इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जावेंगी।

3. प्रकरणों के संक्षेप में सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड–प्रथम, वृत्त झुंझुनू (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा व्यवसाईयों के आलौच्य अवधियों के पृथक–पृथक कर निर्धारण आदेश पारित करते हुए व्यवसाईयों द्वारा स्टोन डस्ट को बजरी दर्शाये जाने के कारण व्यवसाईयों के विरूद्ध अन्तर कर, शास्ति एवं ब्याज की मांग निम्न सारणी अनुसार आरोपित की गई। कर निर्धारण अधिकारी के इन आदेशों के विरूद्ध व्यवसाईयों द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने अपने पृथक–पृथक आदेश पारित करते हुए आरोपित मांग को अपास्त करते हुए व्यवसाईयों को सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने हेतु उपरोक्त प्रकरण पुनः कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर दिये गये। अपीलीय अधिकारी के इन आदेशों के विरूद्ध विभाग द्वारा अपीलें एवं व्यवसाईयों द्वारा क्रॉस ऑब. पेश किये गये है। जिनका विवरण नीचे लिखी सारणी अनुसार दर्शाया जा रहा है :–

अ.सं/क्रा.आ.	अपीलीय अधिकारी के अपील संख्या एवं आदेश दिनांक	वा.क.अ. के आदेश दिनांक	क.नि.व.	विवादित कर	विवादित शास्ति	विवादित ब्याज	विवादित कुल राशि
अ. 1212/12 क्रा.1629/12	258/आरवैट 20.01.11	23.12.09	2007–08	44,083	5,320	17,426	66,829
अ. 1213/12 क्रा.1630/12	340/आरवैट 14.11.11	30.09.10	2008–09	1,06,262	2,940	30,902	1,40,104
अ.1215/12 क्रा.1631/12	291/आरवैट 20.01.11	14.10.10	2008–09	2,67,000	–	12,231	38,931

4. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थीगण विभाग के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि व्यवहारीगण ने स्टोन डस्ट जो स्वयं द्वारा निर्मित है, को बजरी के साथ में विक्रय करना घोषित किया है तथा तद्नुसार 6 रूपये प्रतिटन से कर जमा कराया है जबकि यह 12.5 प्रतिशत से कर योग्य है। कर निर्धारण अधिकारी ने स्टोन डस्ट पर विधि अनुसार उचित दर से कारारोपण किया था तथा कर देरी के जमा होने के कारण अधिनियम की धारा 55 के तहत ब्याज आरोपित किया था। अपील संख्या 1212/2012 व 1213/2012 में त्रेमासिक विवरण पत्र देरी के लिये धारा 58 के तहत शास्तियां विधिसम्मत रूप से आरोपित की गई थी, जिन्हें अपास्त कर प्रकरणों को प्रतिप्रेषित कर विधिक भूल की है। इसलिए अपीलें स्वीकार की जाकर कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों को बहाल करने पर बल दिया।

लगातार.....3

6. प्रत्याक्षेप व्यवहारियों की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारियों को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकूल आदेश पारित किये थे जो कि अपास्त योग्य थे जिन्हें अपीलीय अधिकारी ने प्रकरणों को प्रतिप्रेषित कर विधिक भूल की है। अतः प्रतिप्रेषण आदेश को अपास्त किये जाने का अनुरोध किया।

7. उभयपक्षीय बहस पर विचार किया गया तथा कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी की पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। प्रकरणों में विवादित बिन्दु इतना सा है कि व्यवसाईयों द्वारा स्टोन डस्ट को बजरी घोषित कर कम कर जमा कराया गया है इसलिए कर निर्धारण अधिकारी ने अन्तर कर एवं ब्याज आरोपित किया है। इसके अलावा त्रैमासिक विवरण पत्र देरी के लिए शास्तियां धारा 58 में आरोपित की गई थी।

अपीलीय अधिकारी ने माना कि कर निर्धारण अधिकारी ने अन्तर कर, ब्याज व शास्तियां आरोपण से पूर्व सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया था। जो कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकूल है इसलिए प्रकरणों को प्रतिप्रेषित कर सुनवाई का अवसर प्रदान कर लेखों की बाद जांच कर निर्धारण किये जाने के निर्देश प्रदान किये है। इस पीठ के सुविचारित मत में अपीलीय अधिकारी ने नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार प्रकरणों में पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान कर, कर निर्धारण आदेश पारित किये जाने हेतु, प्रकरणों को प्रतिप्रेषित कर कोई विधिक भूल नहीं की है। अतः अपीलीय आदेशों की पुष्टि की जाकर सभी अपीलें व प्रत्याक्षेप अस्वीकार किये जाते है। कर निर्धारण अधिकारी अपीलीय आदेशों की अनुपालना में कार्यवाही अमल में लाये तथा व्यवसायीगण अपना सक्रिय सहयोग प्रदान करे।

8. फलतः विभाग द्वारा प्रस्तुत अपीलें एवं व्यवसाईयों द्वारा प्रस्तुत प्रत्याक्षेप (Cross Objection) अस्वीकार किये जाते हैं।

निर्णय सुनाया गया।

(अमर सिंह) 3-6-14
सदस्य

(जे.आर.लोहिया) 02/06/14
सदस्य